आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

24/12/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-15/2022-2023

मनीष कच्छप ..... आवेदक

बनाम्

सचिव,
टेन्डर हार्ट माध्यामिक उच्च विद्यालय,
तुपुदाना, नामकुम, ... विपक्षी

आदेश

आवेदक मनीष कच्छप, पिता–स्व० विमल कच्छप, जाति उराँव, निवासी ग्राम–तुपुदाना, नामकुम, जिला राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908, की धारा– 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षी सचिव, टेन्डर हार्ट माध्यामिक उच्च विद्यालय, तुपुदाना, नामकुम जिला–राँची, द्वारा छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिए है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
तुपुदाना	267	142	632	44 डी०
		147	715	26 डी०
कुल				70 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन के साथ खतियान का कॉपी दाखिल किया खाता सं०–142, प्लॉट नं०–632 में कपील सिंह वल्द लक्ष्मण सिंह नाम दर्ज है लेकिन लगान पाने वाले का नाम लेटआ उराँव दर्ज है तथा खाता सं०–147, प्लॉट नं०–715 में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है तथा लगान पाने का नाम लेटआ उराँव दर्ज है।

आवेदक मनीष कच्छप खतियानी रैयत के वंशज एवं आदिवासी समाज के

24/12/24

कृ०पृ०उल्टे

सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जिसका पत्रांक सं०–1226(ii) दिनांक–09.12,2024 है। इसमें भौतिक पंजी–II के अनुसार कहा गया है कि जाँच प्रतिवेदन के क्रम सं०–04 में मौजा–टुपुदाना, खाता नं०–142, प्लॉट नं०–632, रकवा–44 डिसमिल पेज नं०– I/138 में रैयत का नाम कपील सिंह तथा खाता नं०–147 पेज नं०– I/143 में गैरमजरूआ दर्ज है तथा ऑनलाईन पंजी– II के अनुसार खाता नं०–142, पेज नं०– I/138 में कपील सिंह का नाम दर्ज है तथा खाता नं०–147 गैरमजरूआ जमाबंदी नहीं है। वर्त्तमान में दखलकार टेन्डर हाट माध्यमिक उच्च विद्यालय, तुपुदाना, नामकुम, जिला–राँची है। आवेदक की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गया है। **पहला गवाह आवेदक स्वयं हैं। अपने शपथ पत्र के कण्डिका–4 में मनीष कच्छप कहते हैं कि खेवट–09 में मेरे पूर्वज लेटेआ उराँव, पिता–भाकु उरांव का नाम दर्ज है। 1932 के सर्वे से पहले एवं सर्वे के समय भी मेरे पूर्वज खेती करते थे तथा 1932 के समय उन सभी लोगों को भूमि पर जोतकोड़ करने तथा खेती करने से बेदखल कर दिए गये थे। आगे कहते हैं कि 1932 के सर्वे के समय सर्वे पदाधिकारियों द्वारा गलत तरीके से खतियान बना दिया। कण्डिका–8 में कहते है कि कपील सिंह 1932 के खतियान में खाता–142 कपील सिंह के नाम रैयती दर्ज है। कण्डिका–11 में कहते है कि विपक्षी ने 1999 में नारायण प्रसाद व केदारनाथ व अनिल कुमार अग्रवाल के उत्तराधिकारी से खरीदे है जिसपर बांउड्री कर स्कूल कैंपस के लिए घेर लिया है। प्रतिपरीक्षण में खतियान देखकर कहते है कि कपील सिंह के नाम पर खतियान है जिसे प्रदर्श A दर्ज किया गया है। खाता सं०–147 का खतियान गैरमजरूआ मालिक है Continuous खतियान XI दर्ज किया गया तथा वर्णित पट्टा की कॉपी को XII दर्ज किया गया। प्लॉट सं०–632 में स्कूल चलता है एवं प्लॉट सं०–715 में मैदान है। गवाह सं–02 अजय**

24/12/24

कृ०पृ०उल्टे

कच्छप शपथ पत्र में कहते है कि विपक्षीगण द्वारा 15 वर्ष पहले आवेदक के परिवार को वर्णित भूमि से बेदखल कर दिया गया। आवेदक की ओर से निम्न कागजातों को प्रदर्श कराया गया है, जिसमें Exhibit 01 खेवट सं०–09 है Exhibit 02 भू–अर्जन वाद संख्या–12/2011–12 की पेमेंट आर्डर, Exhibit 03 अंचल रसीद, Exhibit 04 अंचल रसीद एवं Exhibit 05 अंचल रसीद को आवेदक द्वारा प्रदर्श कराया गया है।

आवेदक द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र सं०–580, दिनांक–13.12.2024 दाखिल किया गया है। लेटेआ उरांव के पीछे लुन्दरू उराँव, भोला उराँव, भाकु उराँव, भाँगा उराँव, जौरू उराँव एवं धुवुवा उराँव दर्ज है। लुन्दरू उराँव अपने पीछे सहदेव उराँव, महादेव उराँव एवं माधेया उरांव को छोड़ गये। महादेव उराँव अपने पीछे मंगरा उरांव (नावल्द), भाकु उरांव (नावल्द), चंदा उरांव, विमल कच्छप एवं सहदेव उरांव को छोड़ गये। चंदा उरांव अपने पीछे सूरज कच्छप प्रकाश कच्छप विनय कच्छप को छोड़ गये और विमल कच्छप अपने पीछे दीपक कच्छप, मनीष कच्छप (आवेदक), जय ज्योतिष कच्छप एवं पप्पु कच्छप को छोड़ गये, इन चार भाईयों में सिर्फ मनीष कच्छप ही आवेदक है।

विपक्षी की ओर से दाखिल कारणपृच्छा में कहते हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि वर्णित भूमि आदिवासी जमीन से संबंधित नहीं है। यह कि मौजा–तुपुदाना, थाना नं०–267, खाता सं०–142, प्लॉट नं०–632, कुल रकबा–44 डिसमिल जमीन में आर०एस० खतियान में कपील सिंह, पिता–लखन सिंह कायमी दर्ज है कपील सिंह अपने पीछे देवनाथ सिंह को छोड़ गये, देवनाथ सिंह अपने पीछे चार पुत्र बलभद्रा सिंह, बलदेव सिंह, जगमोहन सिंह एवं ब्रजमोहन सिंह छोड़ गये, जो जमीन के वारिस हुए। खाता सं०–142, प्लॉट नं०–632 को बलभद्रा सिंह, बलदेव सिंह, जगमोहन सिंह एवं ब्रजमोहन सिंह ने 01 एकड़ 14 डिसमिल को बेचन सिंह और पंडित राजेन्द्र शुक्ल को बेच दिया। पुनः बेचन सिंह एवं पंडित राजेन्द्र शुक्ला ने शीला देवी को दिनांक–19.05.1966 को बेचा जिसका डीड नं०–4221 एवं दिनांक–14.12.1966 को बेचा, जिसका डीड नं०–9015 है। पुनः शीला देवी ने नारायण प्रसाद, केदारनाथ और अनील कुमार अग्रवाल को दिनांक–16.10.1979 को

24/12/24

कृ०पृ०उल्टे

बेच दिया, जिसका डीड नं०–8205 है। जो अवर निबंधक कार्यालय, राँची में निबंधित है। पुनः श्रवण कुमार अग्रवाल, शांति देवी, मोहन लाल अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल, अरविन्द कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल ने श्रीमती गार्गी मन्जु, पति– सुधीर तिवारी को बेच दिया। जिसका बुक सं०–01, Volume No.–822, पेज नं०–22 से 42, डीड नं–5664/99 है। इसके बाद से ही विपक्षी दखल–कब्जा के साथ रह रहे हैं। तथा नामकुम अंचल, राँची में दाखिल खारिज कराकर मालगुजारी दे रहें हैं। राँची नगर निगम, राँची में टैक्स देते आ रहे हैं तथा कहते हैं कि यह वाद खारिज करने योग्य है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया साथ हीं लिखित बहस भी दाखिल किया गया लिखित बहस में कहते हैं कि खेवट नं०–09, खाता नं०–140 से 147, कुल रकवा–14.91 एकड़ जमीन मेरी खतियानी जमीन है। खेवट नं०–09, लेटेआ उरांव, पिता–भाको उरांव के नाम से दर्ज है रसीद लुन्दरू उरांव के नाम से कट रहा है। खेवट नं०–09 भुईहरी पहनई खुट नं०–01 है, तथा यह गैर आदिवासी को नहीं जा सकता है, आगे कहते है लेटेआ उरांव कपील सिंह को रैयत बैठाये थे। आगे कहते है कि खाता सं०–147, प्लॉट–715, रकवा–53 डिसमिल का मुआवजा भू–अर्जन कार्यालय द्वारा आवेदक को दिया गया था, जिसका भू–अर्जन वाद सं०–12/2011–12 है। आगे कहते है कि खाता सं०–144 से 147 तक आवेदक के पुर्वजों का दखल कब्जा रहा है जिसे विपक्षी वर्णित भूमि पर अवैध कब्जा किये है। विपक्षी से मंजु गार्गी ने शादी किया जिसका कोई प्रमाण दाखिल नहीं है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया बहस में कहते हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 का कोई उल्लंघन नहीं किये है तथा विपक्षी पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की 1908 की धारा– 71"A" लागु नहीं होता है। इस जमीन पर 1964 से खेतीबाड़ी नहीं हो रहा है तथा वर्णित भूमि पर मकान बना हुआ है। यह वाद आर०एस० खाता नं०–142, प्लॉट–632, रकबा–44 डिसमिल और खाता नं०–147, प्लॉट–715, रकबा–26, मौजा–टुपुदाना पर वाद लाया गया। खाता नं०–142, प्लॉट–632, रकबा–44 का आर०एस० खतियान में कपील सिंह,

पिता–लखन सिंह के नाम कायमी दर्ज है। अतः छोटानागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–71"A" कपील सिंह पर लागु नहीं होता है तथा इस जमीन पर भू–वापसी का वाद नहीं चल सकता है। कपील सिंह की मृत्यु के बाद इनके वारिस देवनाथ सिंह अपने पीछे चार बेटे बलभद्रा सिंह, बलदेव सिंह, जगमोहन सिंह एवं ब्रजमोहन सिंह को छोड़ गये, ये सभी जमीन के दखलकार हुए। इसके बाद बलभद्रा सिंह, बलदेव सिंह, जगमोहन सिंह एवं ब्रजमोहन सिंह ने खाता नं०–142, प्लॉट–632, रकबा–44 डिसमिल को बच्चन सिंह और पंडित राजेन्द्र शुक्ला को एक निंबधित पट्टा से बेच दिए जिसका पट्टा सं०–4434, 4437 दिनांक–22.06.1964 को अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवा लिए एवं दखल कब्जा के साथ रहने लगे। पुनः बेचन सिंह और पंडित राजेन्द्र शुक्ला ने शीला देवी को निबंधित पट्टा से बेच दिए जिसका पट्टा सं०–4221 दिनांक–14.12.1966 है। पुनः शीला देवी ने नारायण प्रसाद वगै० को एक निबंधित पट्टा से बेच दिए जिसका पट्टा सं०–8205 दिनांक–16.10.1979 है। अपने नाम पर म्युटेशन करवा लिए जिसका म्युटेशन केस नं०–18R27/1980-81 है। पुनः नारायण प्रसाद वंशज श्रवण कुमार अग्रवाल, शांतिदेवी, मोहन लाल अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल, अरविन्द कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल ने श्रीमती गार्गी मन्जु, पति–सुधीर तिवारी को 44 डिसमिल जमीन को बेच दिए। जिसका निबंधन पट्टा सं०–5664 दिनांक–30.08.1999 जिसपर टेन्डर हार्ट माध्यामिक उच्च विद्यालय, नामकुम निर्मित है और स्कुल चल रहा है। तत्पश्चात् नामकुम अंचल, राँची में श्रीमती गार्गी मन्जु, पति–सुधीर तिवारी के नाम पर दाखिल–खारिज करवा लिए जिसका वाद सं०–661R27/2000-01 और लगातार लगान देते आ रहें है साथ ही राँची नगर निगम राँची को होल्डींग टैक्स भी देते आ रहें है, जिसका होल्डींग नं०–96 है। आगे कहते है कि खाता नं०–147, प्लॉट–715, रकबा–26 डिसमिल, मौजा–टुपुदाना यह जमीन .गैर–मजरूआ मालिक है। जिसे बच्चन सिंह और पंडित राजेन्द्र शुक्ला का दखल–कब्जा 1964 से ही है। जिसका खेवट नं०–09 है और इस जमीन पर 1964 से ही आवेदक का दखल–कब्जा नहीं है। गैरमजरूआ मालिक जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–71"A" लागु नही होता है, तथा यह वाद कालबाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। विपक्षी की ओर से स्वयं

24/12/24

सुधीर कुमार तिवारी ने गवाही दी, इसमें कहते है कि मेरी पत्नी गार्गी मंजु ने जमीन खरीदा है। पंडित राजेन्द्र शुक्ला एवं बच्चन सिंह का 1966 से दखल–कब्जा है। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि गार्गी मंजु मेरी पत्नी थी जिनके साथ 1994 में मेरी शादी हुई थी। आवेदक की ओर से निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है। खतियान की सच्ची प्रति जिसे प्रदर्श–A किया गया है। मार्क X/1, Continious, खतियानी की छायाप्रति, मार्क X/2 Deed No.-5664, मार्क X/3 शुद्धीपत्र, मार्क X/4-1 से 18 नगर निगम का होल्डींग रसीद, मार्क X/5/1 अंचल रसीद, मार्क X/5/2 अंचल रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बच्चन सिंह पट्टा नं०–4434 की छायाप्रति व अन्य अंचल रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

That the opposite party also rely upon the ruling reported in –

(a) **2001 (1) JCR 229 (SC): (2005)5 SCC 141 "Jai Mangal Oraon Vs. Smt. Mira Nayak and others (Supreme court),"** "on the point of **Limitations."**

(b) **2004 volume 4, JCR (Supreme court); "Situ Sahu and other Vs. State of Jharkhand (Supreme court)** "on the point of limitation"

(c) **"Shyama Kant Lal Vs. State of Jharkhand (High court of Jharkhand)** "on the point of Limitation"

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुने तथा लिखित बहस एवं दोनों पक्षों के कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस वाद का निष्पादन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की 1908 की धारा– 71"A" के तहत् संभव नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

Mi- 24/12/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.31 16:11:59 +05:30
Location: 192.168.35.39

Mi- 24/12/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।